प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 फरवरी, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संतोष कोरी पुत्र श्री रामहित कोरी, निवासी जनपद-कौशाम्बी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0) के पत्र संख्या-36886/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.12.2024) दिनांक-05.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संतोष कोरी पुत्र श्री रामहित कोरी, बरगदी, मजरा-मौली, थाना-चरवा, जनपद-कौशाम्बी का निवासी है। दोनों पक्षों के मध्य जमीनी विवाद को लेकर पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण दिनाँक 20.06.2005 को सायंकाल लगभग 06.00 बजे बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गाँव के राधे श्याम कोरी के चबूतरे पर अन्य लोगों के साथ बैठे बात कर रहे हरी लाल नामक व्यक्ति की तमन्चे से गोली मारकर एवं चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी। द्वितीय केस-पूर्व से चल रही जमीनी विवाद के कारण दिनाँक 29.10.2005 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे व रायफल से गोली मार कर जग्गी लाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-269/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 कोर्ट संख्या-2, कौशाम्बी के आदेश दिनांक 20.08.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 25.01.2021 द्वारा यथावत् रखा गया। (2) बन्दी को एस0टी0 संख्या-37/2012, भा0द0वि0 की धारा-2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में 08 वर्ष की कारावास से दण्डित किया गया। उक्त वाद में बन्दी मूल सजा भोग चुका है, अर्थदण्ड की सजा शेष है। (3) बन्दी को एस0टी0 संख्या-317/2006, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3, कौशाम्बी के आदेश दिनांक 22.09.2014 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त वाद मं बंदी दिनांक 13.05.2022 को जमानत/मुचलके पर रिहा हो चुका है, बंदी द्वारा दिनांक 04.12.2024 तक 18 वर्ष, 04 माह, 29 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष, 03 माह, 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त अख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नही आने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा उपयुक्त न होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी की आख्या से सहमत होते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दोनो पक्षों के मध्य जमीनी विवाद को लेकर पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 20.08.2005 को सांयकाल लगभग 06.00 बजे बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गाँव के राधेश्याम कोरी के चबूतरे पर अन्य लोगो के साथ बैठे बात कर रहे हरी लाल नामक व्यक्ति की तमंचे से गोली मारकर एवं चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी एवं द्वितीय केस-पूर्व से चल रही जमीनी विवाद के कारण दिनांक 29.10.2005 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे व राइफल से गोली मारकर जग्गी लाल नामक व्याक्ति की हत्या कारित करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा 02 वादों में हत्या करने का जघन्य अपराध कारित दिया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट की 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी संतोष कोरी पुत्र रामहित कोरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, नैनी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संतोष कोरी (बन्दी संख्या-940/14) पुत्र श्री रामहित कोरी, निवासी जनपद-कौशाम्बी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-204/2025/2078(1)/22-2-2024 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 न0 655/2024 अन्तर्गत विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-471/2022 अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-204/2025/2078/22-2-2024-17(458)/2024

दिनांक 28 फरवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संतोष कोरी पुत्र श्री रामहित कोरी, बरगदी, मजरा-मौली, थाना-चरवा, जनपद-कौशाम्बी का निवासी है। दोनों पक्षों के मध्य जमीनी विवाद को लेकर पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण दिनाँक 20.06.2005 को सायंकाल लगभग 06.00 बजे बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गाँव के राधे श्याम कोरी के चबूतरे पर अन्य लोगों के साथ बैठे बात कर रहे हरी लाल नामक व्यक्ति की तमन्चे से गोली मारकर एवं चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी। द्वितीय केस-पूर्व से चल रही जमीनी विवाद के कारण दिनाँक 29.10.2005 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे व रायफल से गोली मार कर जग्गी लाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-269/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 कोर्ट संख्या-2, कौशाम्बी के आदेश दिनांक 20.08.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 25.01.2021 द्वारा यथावत् रखा गया। (2) बन्दी को एस0टी0 संख्या-37/2012, भा0द0वि0 की धारा-2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में 08 वर्ष की कारावास से दण्डित किया गया। उक्त वाद में बन्दी मूल सजा भोग चुका है, अर्थदण्ड की सजा शेष है। (3) बन्दी को एस0टी0 संख्या-317/2006, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3, कौशाम्बी के आदेश दिनांक 22.09.2014 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त वाद मं बंदी दिनांक 13.05.2022 को जमानत/मुचलके पर रिहा हो चुका है, बंदी द्वारा दिनांक 04.12.2024 तक 18 वर्ष, 04 माह, 29 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष, 03 माह, 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त अख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नही आने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा उपयुक्त न होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी की आख्या से सहमत होते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दोनो पक्षों के मध्य जमीनी विवाद को लेकर पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 20.08.2005 को सांयकाल लगभग 06.00 बजे बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गाँव के राधेश्याम कोरी के चबूतरे पर अन्य लोगो के साथ बैठे बात कर रहे हरी लाल नामक व्यक्ति की तमंचे से गोली मारकर एवं चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी एवं तृतीय केस-पूर्व से चल रही जमीनी विवाद के कारण दिनांक 29.10.2005 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे व राइफल से गोली मारकर जग्गी लाल नामक व्याक्ति की हत्या कारित करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा 02 वादों में हत्या करने का जघन्य अपराध कारित दिया है। जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट की 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी संतोष कोरी पुत्र रामहित कोरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।